The Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2011

Act 13 of 2011

Keyword(s):
Horticultural, Forestry

Amendment appended: 6 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–64

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 28 अप्रैल, 2011 ई0

बैशाख 08, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 178 / XXXVI(3) / 2011 / 24(1) / 2011

देहरादून, 28 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

विविध

" भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011"** पर दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 13 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2011}

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1958) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए : –

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 में संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1958) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ठ) के बाद निम्न खण्ड रख दिये जाएंगे, अर्थात् :–

"(ड) "बागवानी" से फलों, सब्जियों, फूलों के बागान एवं फसलों, मसालों, हौप का मूलभूत एवं व्यवहारिक विज्ञान अभिप्रेत है जिसमें खुम्भ उत्पाद, भूदृश्यों का निर्माण, मौनपालन, विपणन एवं बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण भी सम्मलित है;

(ढ) "वानिकी" से मूलभूत एवं व्यवहारिक विज्ञान, वन संवर्द्धन, पादक प्रजनन, प्रक्षेत्र वानिकी, जीव मण्डल का पारस्थितिक संरक्षण, वन्य जीव, रेशम पालन, औषधीय एवं सुगंधित पौधे तथा उनका उत्पादन आदि अभिप्रेत है।"

धारा 2–क का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 2–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी; अर्थात् : –

"2क– (1) इस धारा के प्रारम्भ से ठीक पूर्व पन्तनगर में अवस्थित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय के सिवाय भरसार, जिला पौड़ी गढवाल में उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के नाम से, ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, ज्ञात एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा;

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के संबंध में :–

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के अन्तरिम अधिकारियों की नियुक्ति (कुलाधिपति के अतिरिक्त) एवं विश्वविद्यालय के अन्तरिम प्राधिकारों का गठन इस प्रकार से करेगी, जैसा वह उचित समझे;

(ख) उपधारा (क) के अधीन नियुक्त अधिकारियों एवं प्राधिकारों के सदस्यों का कार्यकाल, नियुक्ति अथवा गठन, जैसी भी स्थिति हो, के दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगा;

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्राधिकारों के गठन के लिए कार्यवाही करेगी, जो उपधारा (ख) के अन्तर्गत अन्तरिम रूप से नियुक्त अधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व की जाएगी;

(3) वीर चन्द्र सिंह गढवाली औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार एवं रानीचौरी के विद्यमान परिसर का समस्त अधिष्ठान, भवन, संयंत्र एवं सुविधाएं आदि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में नियत तारीख से स्थापित विश्वविद्यालय के नियंत्रण एवं क्षेत्राधिकार में अन्तरित हो जाएंगे।"

मूल अधिनियम की अनुसूची का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी; अर्थात् : –

विश्वविद्यालय का नाम	मुख्यालय	प्रसार, प्रशिक्षण एवं शोध के लिए विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र	विषय
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	पन्तनगर	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य	(1) कृषि, मुख्यतः ऊष्ण कटिबन्धीय तथा उपऊष्ण कटिबन्धीय, उद्यान एवं कृषि वानिकी, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन, पशुपालन, मत्स्य आधारित विज्ञान, गृह विज्ञान इत्यादि; (2) अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी।
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय	भरसार	सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य	(1) औद्यानिकी मुख्यतः शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण औद्यानिकी; (2) वानिकी एवं कृषि वानिकी।

आज्ञा से,

आर0 पी0 फुलोरिया,
संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **"The Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2011"** (Adhiniyam Sankhya 13 of 2011).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 25, 2011.

No. 178/XXXVI(3)/2011/24(1)/2011
Dated Dehradun, April 28, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

The Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2011

[Uttarakhand Act No. 13 of 2011]

An

Act

to amend the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalya Adhiniyam, 1958 (Uttar Pradesh Act No. 45 of 1958) (as applicable to the State of Uttarakhand) to the context of State of Uttarakhand

Enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the 62nd year of the Republic of India, as follows :-

Short Title, Extent and Commencement

1. **(1)** This Act may be called the Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalya (Amendment) Adhiniyam, 2011.

(2) It shall extend to the whole State of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 2

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya Adhniyam, 1958 (Uttar Pradesh Act No. 45 of 1958) (as applicable to the State of Uttarakhand) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following clauses shall be substituted after clause (l) of section 2; namely:-

"(m) "Horticulture" means the basic and applied sciences of fruits, Vegetables, floriculture plantation crops, spices, hops and shall include mushroom growing, landscaping,bee-Keeping, marketing and processing of horticultural produce :

(n) "Forestry" means and includes basic and applied sciences concerning Silviculture, pland, breeding, farm forestry. conservation of ecology of the biosphere, wild lige, sericulture, edicinal and aromatic plants and their products."

Substitution of section 2-A

3. In place of section 2 A of the principal Act, the following section shall be substituted: namely:-

"2A (1) Besides the Govind Ballabh Pant Krishi Vishwavidyalya in existence at Pantnagar, immediately before the commencement of this section, there shall be established, with effect from such date as the State Government may, by notification in the Gazette appoint in that behalf a University at Bharsar, District Pauri Garhwal to be Known as Uttarakhand University of Horticulture and Forestry, Bharsar , District Pouri Garhwal.

(2) In relation to the University to be established under sub-section (1);

(a) the State Government shall appoint interim officers of the University (other than the chancellor) and shall constitute interim authorities of such University, in such manner as it thinks fit"

(b) the officers appointed and members of the authorities constituted under clause (a) shall hold office for a term of three years from the date of such appointment or constitution as the case may be:

(c) the State Government shall take steps for the appointment of officers and constitution of authorities of such University in accordance with the provisions of this Act. so as the same may be completed before the expiry of respective terms of the interim officers and members under clause (b).

(3) The existing campus at Ranichauri and Veer Chandra Singh Garhwali College of Horticulture, Bharsar with its staff, buildings, equipments and other facilities etc. Presently under the control and jurisdiction of Govind Ballabh Pant Krishi Evam Prodyogik Bishwavidalaya Pantnagar shall stand transferred to the control and jurisdiction of the University to be established under sub-section (1) from the appointed day."

Amendment of the Schedule

4. In place of the Schedule of the principal Act the following Schedule shall be substituted namely-

Name of the University	Headquarters	Area within which the University shall exercise jurisdiction for the purpose of extension, training and research.	Subjects
Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology	Pantnagar	The whole of Uttarakhand	(1) Agriculture, especially Tropical and Sub-Tropical Horticulture and Agro-Forestry, Agribusiness Management, Animal Husbandry, Fisheries, Basic Sciences, Home Science etc. (2) Engineering and Technology
Uttarakhand University of Horticulture and forestry	Bharsar	The whole of Uttarakhand	(1) Horticulture especially temperate and sub-tropical Horticulture (2) Forestry and agro-forestry

By Order,

R. P. FULORIA,
Joint Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधायी/198–2011–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–18

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 22 जनवरी, 2015 ई0

माघ 02, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 339/XXXVI(3)/2015/89(1)/2014

देहरादून, 22 जनवरी, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014"** पर दिनांक 07 जनवरी, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 06 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2015)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए, भारत गणराज्य के 65वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 होगा।

(2) यह तुरन्त लागू होगा।

मूल अधिनियम की संशोधन 2. (1) मूल अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त यथाविद्यमान) में जहाँ–जहाँ शब्द उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय आये हैं वहाँ– वहाँ शब्द "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय" रख दिए जायेंगे।

मूल अधिनियम की धारा 2–कक का अन्तःस्थापन 3. मूल अधिनियम की धारा 2–क के पश्चात् एक नई धारा (2–कक) निम्नवत अन्तःस्थापित कर दी जायेगी :–

(1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की दिनांक को अधिनियम की धारा 6–क के अनुसूची में उल्लिखित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के विषयों से संबंधित महाविद्यालय/संस्थान वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध समझे जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय की संबद्धता हेतु महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए परिनियम ऐसे होगें जैसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन विहित किए जाएं।

मूल अधिनिम के धारा 14 का प्रतिस्थापन 4. मूल अधिनियम की धारा 14 निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्–

(1) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित प्राविधानान्तर्गत की जायेगी।

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय के प्रबन्ध परिषद, शैक्षिक परिषद, प्रवेश समिति, विश्वविद्यालय की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रत्येक समिति का पदेन सचिव होगा।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों का नियुक्त प्राधिकारी होगा।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकारी होगा। जो कि परिनियमावली में विहित की जायेंगी।

(5) कुलसचिव विश्वविद्यालय से शैक्षणिक संबद्धता और संस्थागत कार्यकलापों से संबंधित सभी विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) कुलसचिव विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालयों और संस्थाओं के निरीक्षण के संचालन एवं समग्र पर्यवेक्षण के लिए, जैसा विहित किया जाये, उत्तरदायी होगा।

मूल अधिनियम की धारा 6–क की अनुसूची के अन्तर्गत अभिवृद्धि

5. मूल अधिनियम की धारा 6–क के अन्तर्गत अनुसूची में उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार (पौड़ी गढवाल) हेतु आवंटित विषयों में निम्नवत अभिवृद्धि कर दी जाएगी; अर्थात् –

(3) कृषि विज्ञान,
(4) पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान,
(5) मत्स्य विज्ञान,
(6) खाद्य विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी,
(7) औषधि एवं संगन्ध पादप विज्ञान,
(8) इको–टूरिज्म

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 339/XXXVI(3)/2015/89(1)/2014
Dated Dehradun , January 22, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidhalaya (Second Amendment) Bill, 2014"** (Adhiniyam Sankhya 06 of 2015).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 07 January, 2015.

THE UTTARAKHAND KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (SECOND AMMENDMENT Act, 2014

(THE UTTARAKHAND Act No. 06 of 2015)

Be it enacted by the Legislative Assembly of Uttarakhand in the Sixty Forth year of the Republic of India as follows,

An

Act

Further to amend "The Uttarakhand Krishi Evam Prodygik Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1958 (as applicable in Uttarakhand) to the context of State of Uttarakhand as follows :-

Short Title and Commencement	1.	1) This Act may be called the Uttarakhand Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya (Second Amendment) Act, 2014 2) It shall come into force at once.
Amendment in the Principal Act	2.	1) Wherever the words Uttarakhand Audyaniki Evam Vaniki Vishwavidyalaya occurs in the Principal Act, (as applicable and as in existence in the State of Uttarakhand) shall be substituted as "Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand Audyaniki Evam Vaniki Vishwavidyalaya"
Insertion of Section 2-aa	3.	A following new section 2-aa shall be inserted after Section 2-a of the Principal Act :- (1) From the date of commencement of this Act, Colleges/Institutes related to the subjects mentioned under Section 6-a, shall be deemed to be affiliated to the Veer Chandra Singh Garhwali Uttarakhand Audyaniki Evam Vaniki Vishwavidyalaya. (2) The Statutes for affiliation of the Colleges/Institutes for University shall be such as may be prescribed subject to the provisions of the Act.
Substitution of Section 14 of the Principle Act	4.	Section 14 of the Principal Act Shall be Substituted as follows, namely (1) The Registrar of the Veer Chandra Singh Garhwali Horticulture & Forestry University be the fulltime officer of the University. Registrar will be appointed according to the provisions made by the State Government. (2) Registrar will be the ex-officio Secretary of the Board of Management, Education Council of the University and Committee constituted for the appointment of the teachers. (3) Registrar will be the appointing authority for the appointment of the class III & IV employees of the University. (4) Registrar will be authority for discharge of the administrative and financial functions of the University. (5) Registrar will be responsible for all matters concerning educational affiliation and institutional functions of the university according to the statutes. (6) Registrar will be responsible for ensuring the inspection and complete supervision, of the colleges and institutions affiliated to the University as may be prescribed.
Accretion in the Schedule under section 6-a of the Principal Act	5.	The following shall be accreted to the subjects allocated for uttarakhand University of Horticulture & Forestry, Bharsar (Pauri Garhwal) in the Schedule under Section 6-a Of the Principal Act :- (3) Agricultural Sciences (4) Animal Husbandry & Veterinary Sciences (5) Fisheries Sciences (6) Food Science & Technology (7) Medicinal & Aromatic Plants Science (8) Eco-tourism

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 विधायी/76–2015–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।